



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GM 021079

~~NOTARIAL STAMP~~
 Rs. 10 Paid in advance
 Tara Chan Sharma, Advocate
 Notary Public Ghazala (Mathura)

प्रारूप - अ

हम दिगंबर सिंह एवं श्री परशुराम कमरा: अध्यक्ष एवं सचिव वासुदेव मेनोरियल शिक्षा समिति
 पैगाम मथुरा शपथ पूर्वक निम्नवत बयान करते हैं

- यह कि हमारी सोसायटी/ट्रस्ट द्वारा बी० डी० एम० महाविद्यालय पैगाम मथुरा नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है
- यह कि हमारी सोसायटी/ट्रस्ट के नाम पैगाम में गाटा संख्या 235 एवं रकबा कमरा: 2.5 एकड़ एवं 1 हेक्टेयर भूमि है
- यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है
- यह कि उपरोक्त पते पर सोसायटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 235 एवं रकबा कमरा: 2.5 एकड़ एवं 1 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किए जाने का सोसायटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 22.07.2022 द्वारा पारित किया गया है
- यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तुत डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नरो का अनुसार किया गया है

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पत्र पर सोसायटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं इस पर निर्मित एवं निर्धारित गतनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है
7. यह की इस भूमि एवं इस पर निर्मित गतनों पर फार्मसी काउंसिल आफ इंडिया नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जाएगा
8. यह की इस संस्थान में फार्मसी काउंसिल आफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से संबद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश शर्तों के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा
9. यह है कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित गतनों में फार्मसी काउंसिल आफ इंडिया नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ से संबद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/संबद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और ना ही भविष्य में किया जाएगा
10. यह के संस्थान का संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं ~~अदि~~ को फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार सज्जित किया जाएगा
11. यह की संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसायटी/ट्रस्ट द्वारा मात्र प्रारंभ को पूरी कर लिया जाएगा
12. यह की सरकार/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का अलोभाति पालन करुंगा यदि मेरे संस्थान में किसी भी सन्ध स्थलेंच निरीक्षण में मालकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी
13. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है यदि दी गई जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी कूटस्थित अथवा त्रुटीपूर्ण पाए जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्रवाई की जा सकेगी ऐसी की गई विधिक कार्रवाई हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी हूँगा।

31/08/2023
8509

हस्ताक्षर सचिव

हस्ताक्षर अध्यक्ष

The contents of the affidavit of founders read over & explained to Shri. श्री. [Signature] who is identified by Shri. [Signature] & on oath attested before me at my office & noted in my notarial register at No. 8509 and charged fees 31

I Know Shri. [Signature] holds has signed LT/NT before me
Notary Man

Manoj Sharma, Advocate
Notary Public, No. 8509

31-8-23